न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक	फर्द अहकाम	
	मु० नं० 56/14 तारीख रजू 25.9.14	
	उनवान – आरमल बनाम रूपसिंह वगै०	
	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा	
	प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.10.14 को पेश हो। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	2301-04 / 26.9.14
20/10/14	प्रार्थी वकील उप० / अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने वकालतनामा पेश किया / अप्रार्थीगण स्वयं भी उपस्थित हुए है। P.O. त० प्रकरण पर पधारे है। वास्ते जवाब दिनांक 17.11.14 को पेश हो।	रूपसिंह मीना
17/11/14	वकलाय उप०। वास्ते जवाब 16.12.14 को पेश हो।	[illegible] सुनीताबाई मीणा
16/12/14	वकलाय उपस्थित / जवाब के लिए समय चाहा दिया जाकर आईन्दा दिनांक 6-1-15 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

18.2.16	वकुलाय उप.। बहस हेतु पुनः समय चाहा/दिया जाता की दिनांक 25.2.16 को पेश हो।
25/2/16	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी भ्रमण पर पर्यटन है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 29-2-16 को पेश हो।
29.2.16	वकुलाय उप.। बहस वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम औरडा की भूमि खसरा नम्बर 272/0.12, 276/0.03 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। इसलिए औरसापलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में रिकार्ड का अवलोकन करने का कथन किया। वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल रिकार्ड का अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत 2066-69 के खाता संख्या 156 में वर्णित भूमि खं. नं. 272, 276 प्रार्थीगण की खातेदारी में है और सापलान का इससे कोई संबंध नहीं है जाहिर होने को कोई दस्तावेज/सबूत भी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
	पेश किये जी अत: प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गोरडा की भूमि ख.नं. $\frac{272}{0.12}$ $\frac{276}{0.03}$ मे सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायलान को बेदखल कर कब्जा नहीं करे। पत्रावली असल शुमार होकर अन्वासे कम होकर दावा पत्रावली के साथ शामिल रहे। निर्णय आज दिनांक 29.2.16 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	

Scanned by CamScanner